बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(66)

अधिसूचना

सं0–1/पी0एम0आई0–01/2004–1011(1) दिनांक– 23 अक्टूबर 2008

इण्डियन इन्स्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बेऊर, पटना को, विभागीय अधिसूचना सं0 1069(1), दिनांक 20.12.07 तथा अधिसूचना संख्या 746(1), दिनांक 27.06.08 के आलोक में गठित निरीक्षण समितियों के प्रतिवेदन दिनांक 14.01.08 तथा दिनांक 31.07.08 पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 21(2डी) के प्रावधानो के तहत संस्थान द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में उनके सामने अंकित स्थानों के साथ शैक्षणिक सत्र 2008–09 से मगध विश्वविद्यालय से संबंधन प्रदान करने की अनुमति/ स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		**सीटों की सं0**
i)	मास्टर ऑफ फिजियोथेरापी	40
ii)	मास्टर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक	20
iii)	मास्टर ऑफ अकुपेशनलथेरापी	30
iv)	मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी	20
v)	एम0एड0 (स्पेशल एजुकेशन)	50
स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम :–		**सीटों की सं0**
i)	बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी	60
ii)	बैचलर ऑफ मेडिकल एक्स–रे टेक्नोलॉजी	50
iii)	बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी	60
iv)	बैचलर ऑफ ऑफ्थालमोलॉजी	60

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) 23/10/08
(डॉ0 प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1/पी0एम0आई0–01/2004– 1011(1) पटना, दिनांक 23-10-08

प्रतिलिपि– अधीक्षक, गुलजारबाग, प्रेस पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– कुलपति/कुल सचिव/परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को सूचनार्थ एवं बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा 21(2डी) के आलोक में सिनेट की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– सचिव, मानव संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव स्वास्थ्य विभाग के सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार, बी–22, कुतुब इन्स्टीच्यूशनल एरिया, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक प्रमुख, इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बेऊर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 23/10/08
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

इंडियन इन्स्टीचूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बेऊर, पटना का जाँच प्रतिवेदन दिनांक 13.03.2007 पर सम्यक् विचारोपरान्त बिहार विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 21-2 (डी) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. इन्डियन इन्स्टीचूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बेऊर, पटना द्वारा मगध विश्वविद्यालय बोधगया से सम्बन्धन प्राप्त डिग्री पाठ्यक्रमों यथा फिजियोथेरापी, आकुपेशनल थेरापी, प्रोस्थेटिक एण्ड ऑथोटिक, आडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (हीयरिंग एण्ड स्पीच थेरापी) एवं मेन्टल रिटार्डेसन में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों के साथ सत्र् 2000-2001 से 2004-2005 तक के लिए सम्बन्धन विस्तार की स्वीकृति दी जाती है ।

2. उपरोक्त विषयों में एक वर्षीय एब्रीज्ड कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र् 2003-04 से सम्बन्धन की स्वीकृति/सहमति दी जाती है ।

3. उक्त पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र् 2005-06 से स्थायी सम्बन्धन प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है ।

4. पूनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित शर्तो को पूरा करने तथा उनसे अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बी०एड० एजूकेशन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/- प्रमोद कुमार
सरकार के उपसचिव

ज्ञापांक - 1/पी०एम०आई०-01/2004-883 (1) दिनांक 01.11.2007

प्रतिलिपि - कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रन, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को कुल सचिव के पत्रांक 45/जी III A, दिनांक 17.09.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । संस्थान का शैक्षणिक सत्र् नियमित करने एवं लम्बित परीक्षा शीध्र लेने की कार्रवाई की जाय ।

प्रतिलिपि - अनुभाग पदाधिकारी, अनुभाग एन०एस०-23-25 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ए-1/डब्लु-3 कर्जन रोड बैरक कस्तुरवा गाँधी मार्ग नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव स्वास्थ्य के सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, गुलजारबाग, प्रेस पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगला असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह०/- प्रमोद कुमार
सरकार के उपसचिव